जी.एस. सिंहवी और एस.एस. गरेवाल, न्यायाधीशों के समक्ष

भारत संघ और अन्य — *याचिकाकर्ता*
बनाम

केन्द्रीय सहायक ट्राइब्यूनल, चंडीगढ़
बेंच, चंडीगढ़ और अन्य— *उत्तरदाताओं*

C.W.P. 2002 की संख्या 9691
9 दिसंबर, 2002

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985- धारा 21(2)- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226-1980 में एक कर्मचारी का पदत्याग-- कर्मचारी सक्षम न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती देने या लगभग 13 वर्षों तक अभ्यावेदन देने में असफल रहा- वर्ष 1994 से 1997 के बीच अभ्यावेदन को अस्वीकार करना- मृत्यु के 17 वर्ष बाद ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती प्रत्यावर्तन के आदेश का - क्या ट्रिब्यूनल के पास ऐसे आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है जहां इसकी स्थापना से 6 साल पहले कार्रवाई का कारण बनता है - धारा 21 (2) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है समय-बाधित के रूप में खारिज कर दिया जाए- बार-बार अभ्यावेदन की अस्वीकृति, सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद दायर किए गए आवेदन पर विचार करने को उचित नहीं ठहरा सकती है।

अभिनिर्णीत:-

(i) अधिनियम के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल धारा 21(1) के तहत निर्धारित सीमा अवधि की समाप्ति के बाद दायर किए गए आवेदन पर तब तक सुनवाई नहीं कर सकता जब तक कि आवेदक इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि उसके पास निर्धारित सीमा अवधि के भीतर आवेदन दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण है।

(ii) न्यायाधिकरण की स्थापना से पहले पीड़ित व्यक्ति को जो कारण उत्पन्न हुए थे, उनके संबंध में धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (ए) या (बी) के तहत निर्धारित अवधि के भीतर एक आवेदन उस अवधि की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के भीतर दायर किया जा सकता है। धारा 21 की उपधारा (3) में निहित गैर-अस्थिर खंड का लाभ उन व्यक्तियों द्वारा भी उठाया जा सकता है जिनके पक्ष में न्यायाधिकरण की स्थापना से पहले मामला प्राप्त हुआ था।

(iii) क्रमिक अभ्यावेदन की अस्वीकृति, सीमा अवधि की समाप्ति के बाद दायर किए गए आवेदन पर विचार करने को उचित नहीं ठहरा सकती, जब तक कि शिकायतों के निवारण के लिए प्रासंगिक सेवा नियम ऐसे अभ्यावेदन के लिए प्रदान नहीं करते हैं।

(iv) आवेदन दाखिल करने में देरी को तब तक माफ नहीं किया जा सकता जब तक धारा 21(3) के तहत इस आशय का लिखित अनुरोध नहीं किया जाता है और ट्रिब्यूनल संतुष्ट नहीं है कि आवेदक के पास सीमा अवधि के भीतर आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण है।

(पैरा 24)

नामित कुमार, एडवोकेट, *याचिकाकर्ताओं के लिए*

आर.के. शर्मा, अधिवक्ता *प्रतिवादी* न. 2. *के लिए*

अदालत का निर्णय

जी.एस. सिंहवी, न्यायाधीश,

(1) क्या प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 (संक्षेप में, अधिनियम) के तहत स्थापित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में, न्यायाधिकरण) के पास किसी कर्मचारी द्वारा किसी कारण से दायर किए गए आवेदन पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। इसकी स्थापना से पहले 17 जनवरी, 2002 के आदेश को रद्द करने के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय सचिव, और महानिदेशक, श्रम ब्यूरो के माध्यम से भारत संघ द्वारा दायर इस याचिका में निर्धारण के लिए प्रश्न उठता है (अनुलग्नक पी. 34))

ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ बेंच द्वारा 1997 के ओ.ए. नंबर 1066/सीएच-**जी.एस. चीमा बनाम भारत संघ और अन्य** में पारित किया गया।

(2) उपर्युक्त प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए पृष्ठभूमि तथ्यों पर ध्यान देना उपयोगी होगा। प्रतिवादी संख्या 2. श्री जी.एस. चीमा 30 मई, 1962 को श्रम ब्यूरो में कंप्यूटर के रूप में सेवा में शामिल हुए। 7 दिसंबर, 1977 के एक आदेश द्वारा, श्रम ब्यूरो के निदेशक ने उन्हें तदर्थ आधार पर अन्वेषक ग्रेड- II के रूप में पदोन्नत किया। उस पद पर दिनांक 01.10.19 13 अक्टूबर, 1978 से नियमित रूप से नियुक्त किया जायेगा। अन्वेषक ग्रेड- II के रूप में पुष्टि के लिए 28 जून, 1979 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में, डीपीसी) की बैठक में उनके मामले पर विचार किया गया था, लेकिन उन्हें उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

लगभग एक वर्ष के बाद, अन्वेषक ग्रेड- II के कैडर की स्वीकृत शक्ति में कमी के कारण, 4 सितंबर, 1980 के आदेश के तहत उन्हें कंप्यूटर के पद पर वापस कर दिया गया। 4 सितंबर, 1980, 24 अप्रैल, 1981 और 18 जुलाई, 1981 को आयोजित डीपीसी की बैठकों में अन्वेषक ग्रेड- II के रूप में पदोन्नति के लिए उनके मामले पर फिर से विचार किया गया लेकिन उन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया। कंप्यूटर कैडर में उनसे कनिष्ठ कई लोगों को डीपीसी की सिफारिश पर पदोन्नत किया गया था। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल सूट या रिट याचिका दायर करके कनिष्ठों के पदावनति और/या पदोन्नति के आदेश को चुनौती नहीं दी। उन्होंने 18 नवंबर, 1993 तक पदावनति के खिलाफ कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं किया था, जब उन्होंने पूर्वव्यापी प्रभाव से अन्वेषक ग्रेड- II के रूप में अपनी स्थिति की बहाली और उस पद के वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिए निदेशक, श्रम ब्यूरो को पहली बार अभ्यावेदन दिया था। उन्होंने इस मांग को दोहराया, - सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय को भेजे गए अभ्यावेदन दिनांक 19 नवंबर, 1993 (अनुबंध पी. 15) और अभ्यावेदन/अनुस्मारक अनुलग्नक पी. 18 दिनांक 28 फरवरी, 1994, पी. 20 दिनांक 25 जौनरी, 1995, पी. 22 दिनांक 28 मार्च, 1995 और पी. 24 दिनांक 6 अक्टूबर, 1995, ये सभी निदेशक, श्रम ब्यूरो को संबोधित थे। उनके दो अभ्यावेदन, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25 फरवरी, 1994 और 12 मई, 1994 जो भारत सरकार को भेजे गए थे, को अस्वीकार कर दिया गया था (रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया)। अभ्यावेदन अनुलग्नक पी.20 दिनांक 25 जनवरी 1995 के संदर्भ में, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय (श्रम ब्यूरो) ने प्रतिवादी संख्या 2 को ज्ञापन अनुलग्नक पी.21 दिनांक 13 मार्च, 1995 के माध्यम से सूचित किया कि अन्वेषक

ग्रेड- II के कैडर की स्वीकृत शक्ति में कमी है और उसे वापस कर दिया गया है। यह ज्ञापन अनुलग्नक पी. 23 दिनांक 5 मई, 1995 में दोहराया गया था। हालांकि, तीन लगातार नकारात्मक उत्तरों ने प्रतिवादी संख्या 2 को नहीं रोका, जिन्होंने अभ्यावेदन संलग्नक पी. 24 दिनांक 6 अक्टूबर, 1995, पी. 27 दिनांक 9 अक्टूबर, 1996 , पी. 28 दिनांक 21 अप्रैल, 1997 अन्वेषक ग्रेड-द्वितीय के रूप में उनकी स्थिति की पूर्वव्यापी बहाली और परिणामी लाभ प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया था। इन्हें भारत सरकार ने भी अस्वीकार कर दिया था और अपने निर्णयों को प्रतिवादी संख्या 2 को - कार्यालय ज्ञापन अनुलग्नक पी.25 दिनांक 22 अगस्त, 1996/3 सितंबर, 1996, पी. 26 दिनांक 13 अगस्त, 1996/3 के माध्यम से सूचित कर दिया गया था। इसके बाद, उन्होंने अधिनियम की धारा 19 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसे निम्नलिखित राहत प्रदान करने के लिए 1997 के OA नंबर 1066/CH के रूप में पंजीकृत किया गया था:

> "(i) आदेश संख्या 26/6/78-प्रशा. I दिनांक 30 मई, 1980 को तत्कालीन निदेशक, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा पारित किया गया था, जिसके बारे में आवेदक को कभी सूचित नहीं किया गया था (अनुलग्नक ए. 1)।
>
> (ii) कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 73/18/93-प्रशा. I, दिनांक 22 अगस्त, 1996/3 सितंबर, 1996 को प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय द्वारा पारित किया गया, इस हद तक कि 13 अक्टूबर, 1978 से उसकी पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए आवेदक के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है (अनुलग्नक ए 2)।
>
> (iii) कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 73/8/96-प्रशा. मैं, दिनांक 13 अगस्त, 1996/3 सितंबर, 1996 को प्रतिवादी संख्या 2 के कार्यालय द्वारा पारित किया गया, इस हद तक कि उत्तरदाताओं ने जांचकर्ता ग्रेड II की वरिष्ठता सूची की अधिसूचना को जो 30 अप्रैल, 1996 को, 6 मई, 1996 को जारी किया गया, को अस्वीकार कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स ग्रेड 2 के कैडर में द्वितीय से प्रभावी अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति की तारीख से पहले की तारीखअपनी नियुक्ति का दावा किया था। (अनुलग्नक ए. 3)।
>
> (iv) कार्यालय आदेश क्रमांक 73/18/94-प्रशा. दिनांक 10 सितंबर, 1997 जिसके तहत प्रत्यावर्तन के विरुद्ध आवेदक का अभ्यावेद

अन्वेषक ग्रेड II से कंप्यूटर को अस्वीकार कर दिया गया है (अनुलग्नक A. 4)।

(v) आवेदक को जांचकर्ता ग्रेड II के रूप में मानने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने के लिए, मानो उसे कभी वापस नहीं किया गया, जैसा कि उसके वरिष्ठों और कनिष्ठों सहित समान स्थिति वाले व्यक्तियों के संबंध में किया गया है, सभी परिणामी लाभों के साथ;

या

उसे अन्वेषक ग्रेड II के रूप में मानने के विकल्प में या तो पहले की तारीख से अन्वेषक ग्रेड II के रूप में अपने कनिष्ठों की ऐसी पदोन्नति/नियमितीकरण की तारीख तक या कम से कम उक्त तिथि से सभी परिणामी लाभों के साथ।"

(3) उन्होंने रोजगार के मामले में भेदभाव और समानता के अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन और प्राकृतिक न्याय के नियमों के उल्लंघन के आधार पर प्रत्यावर्तन के आदेश को चुनौती दी।

(4) ट्रिब्यूनल द्वारा नोटिस किए जाने पर, गैर-आवेदकों (यहाँ याचिकाकर्ताओं) ने आवेदन का विरोध करने के लिए जवाब दाखिल किया। उन्होंने यह कहते हुए आवेदन की स्थिरता पर आपत्ति जताई कि ट्रिब्यूनल के पास वर्ष 1980 में किए गए प्रत्यावर्तन को रद्द करने के लिए आवेदक की प्रार्थना पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। गुण-दोष के आधार पर, उन्होंने दलील दी कि आवेदक का प्रत्यावर्तन अन्वेषक ग्रेड की कैडर शक्ति में कमी के कारण आवश्यक हो गया था। अन्वेषक ग्रेड की कैडर शक्ति में कमी। द्वितीय. उन्होंने यह कहते हुए अपने से कनिष्ठ व्यक्तियों की पदोन्नति को उचित ठहराया कि उनके मामले पर डीपीसी द्वारा विधिवत विचार किया गया था लेकिन उन्हें उपयुक्त नहीं पाया गया।

(5) प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने और पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी नंबर 2 के आवेदन को स्वीकार कर लिया, उसके पहले दिए गए आदेशों को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे उन्हें उनके कनिष्ठों की तारीख से अन्वेषक ग्रेड- II के रूप में

मानें। उन्हें उस पद पर पदोन्नत/नियमित किया गया और उन्हें सभी परिणामी लाभ भी दिए गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से आवेदन की स्थिरता पर इस आधार पर आपत्ति उठाई गई थी कि यह परिसीमन से बाधित था, जिसे ट्रिब्यूनल ने निम्नलिखित कारण बताते हुए खारिज कर दिया था:

> "सीमा के बिंदु पर, आवेदक के विद्वान वकील ने **सुआ लाल यादव बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (1976) 4 एससीसी 853** पर भरोसा जताया। उस मामले में, आवेदक एक पुलिस उप-निरीक्षक कोविभागीय जांच के बाद 1964 में सेवा सेबर्खास्त कर दिया गया था । उनकी अपील 25 जून, 1966 को खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता ने 1 जून, 1968 को एक समीक्षा आवेदन किया, जिस पर राज्यपाल ने विचार किया और गुण-दोष के आधार पर माना कि मामला समीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। उच्च न्यायालय ने अनुचित देरी के आधार पर समीक्षा आवेदन को खारिज करने के खिलाफ रिट याचिका खारिज कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यपाल ने समीक्षा आवेदन को योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया, देरी के आधार पर नहीं। दूरस्थ स्तर पर समीक्षा आवेदन में देरी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है और रिट आवेदन को खारिज करने का आधार बनाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को कानून के अनुसार निपटान के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया गया।
>
> हमने पाया कि आक्षेपित आदेश उत्तरदाताओं द्वारा आवेदक के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए पारित किए गए थे। हालाँकि, गुण-दोष के आधार पर, न कि अभ्यावेदन देने में देरी के आधार पर। **गुरदेव सिंह (सुप्रा) और नंदियाल रायगर (सुप्रा)** के मामलों में अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि उन मामलों के तथ्य वर्तमान मामले की तुलना में अलग-अलग हैं। वर्तमान मामला सिविल मुकदमे और परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित नहीं है। **बलबीर सिंह के मामले** में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले की तुलना में, **सुआ लाल यादव (सुप्रा)** के मामले में अनुपात निश्चित रूप से मैदान में रहेगा क्योंकि उत्तरदाताओं ने आवेदकों के विलंबित अभ्यावेदन पर विचार किया था और उन्हें योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया था। और देरी के आधार पर नहीं. इस दृष्टि से परिसीमन संबंधी उत्तरदाताओं की आपत्ति खारिज की जाती है।

मामले के तथ्यों से, हम पाते हैं कि आवेदक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को ओए नंबर 506/पीबी/90 में 6 नवंबर, 1992 के न्यायालय के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था और उत्तरदाताओं को आवेदक को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया गया था, उन्हें अन्वेषक ग्रेड-2 के पद पर बहाल करने के बजाय कंप्यूटर के पद पर पदस्थापित कर दिया गया।. न्यायालय के आदेश अंतिम हो गए थे और उत्तरदाता आवेदक को अन्वेषक ग्रेड- II के अलावा किसी अन्य पद पर तैनात नहीं कर सकते थे।"

(6) प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक जांच और सक्षम अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के संदर्भ के बिना तथ्यों का वर्णन अधूरा रहेगा। उनके खिलाफ पहली जांच - केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण) नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत जारी 12 जनवरी, 1982 के ज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई थी जिसके तहत उन पर स्वीकृत अवकाश से अधिक समय तक रुकने, आधिकारिक संचार का जवाब नहीं देने, ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि के दौरान अपने ठिकाने के बारे में कार्यालय को सूचित नहीं करने और अनाधिकृत रूप से एलटीसी अग्रिम रखने के आरोप लगाया गया था । जांच के समापन पर, निदेशक, श्रम ब्यूरो ने 11 जनवरी, 1983 को आदेश अनुलग्नक पी. 8 पारित कर प्रतिवादी संख्या 2 को सेवा से हटा दिया। उनके द्वारा दायर विभागीय अपील को अपीलीय प्राधिकारी ने 23 मई, 1984 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था। उन्होंने वरिष्ठ उप न्यायाधीश, चंडीगढ़ की अदालत में घोषणा के लिए मुकदमा दायर करके हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। 1986 में ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ बेंच की स्थापना पर, मुकदमा अधिनियम की धारा 29(2) के तहत इसे स्थानांतरित कर दिया गया और इसे OA/T.A क्रमांक टी-118, दिनांक 1986 के रूप में पंजीकृत किया गया। ट्रिब्यूनल द्वारा 4 सितंबर 1986 के आदेश के तहत इसकी अनुमति दी गई थी और गैर-आवेदकों को सज़ा मामले की मात्रा के सवाल पर पुनर्विचार करने के निर्देश के साथ हटाने का आदेश रद्द कर दिया गया था। इसके बाद, श्रम ब्यूरो के निदेशक ने 31 मई, 1989 को आदेश पारित किया, जिसके तहत उन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 को 1.1.2019 से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया। 11 जनवरी, 1983 को सज़ा हुई। उस आदेश के खिलाफ प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने सजा के आदेश के साथ-साथ 1990 के ओए नंबर 506-पीबी में अपीलीय आदेश को चुनौती दी, जिसे ट्रिब्यूनल ने 6 नवंबर, 1992 के आदेश

अनुबंध पी. 10 के तहत इस आधार पर अनुमति दी थी कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने ऐसा नहीं किया था। जुर्माना लगाने से पहले आवेदक (यहां प्रतिवादी संख्या 2) को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान की गई। इसके बाद, प्रतिवादी नंबर 2 को दिनांक 01.12.2019 24 नवंबर, 1992 से सेवा में बहाल कर दिया गया। इसके बाद 20/23 अप्रैल, 1993 को एक आदेश आया, जिसके तहत निदेशक, श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ ने संचयी प्रभाव से तीन ग्रेड वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लगाया। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि 24 जुलाई, 1980 से 10 जनवरी, 1983 तक ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को निष्क्रिय माना जाए। 9 वर्षों के बाद, संबंधित प्राधिकारी ने पहले के आदेश की समीक्षा की और उस अवधि को नियमित कर दिया, जिसके दौरान प्रतिवादी नंबर 2 ड्यूटी से दूर रहा था।

(7) अप्रैल, 1994 में, प्रतिवादी संख्या 2 को तत्कालीन सहायक निदेशक श्री हरवंत सिंह के साथ मारपीट करने और उन्हें गंदी गालियाँ देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। नवंबर, 1994 में उन्हें बहाल कर दिया गया और उनके खिलाफ दूसरी विभागीय जांच दिनांक 24 नवंबर, 1994 के ज्ञापन के माध्यम से शुरू की गई । उस जांच का समापन 6 अप्रैल 1998 के आदेश के तहत प्रतिवादी संख्या 2 पर निंदा दंड लगाने के रूप में हुआ।

(8) 1997 के ओए नंबर 1066/सीएच के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादी नंबर 2 के मामले को जांचकर्ता, ग्रेड-2 के रूप में पदोन्नति के लिए डीपीसी द्वारा फिर से विचार किया गया था, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित होने के कारण, उनका नाम बरकरार रखा गया था। सीलबंद लिफाफे में. बाद में, उन्हें आदेश अनुलग्नक पी. 32 दिनांक 24 सितंबर, 1999 द्वारा अन्वेषक, ग्रेड- II के रूप में पदोन्नत किया गया।

(9) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री नमित कुमार ने यह तर्क देकर आक्षेपित आदेश की आलोचना की कि ट्रिब्यूनल की चंडीगढ़ बेंच के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्यावर्तन के आदेश को रद्द करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई प्रार्थना पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि वह इसकी स्थापना से 6 साल पहल का है । उन्होंने प्रस्तुत किया कि 4 सितंबर, 1980 के आदेश के खिलाफ प्रतिवादी संख्या 2 के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक नागरिक मुकदमा या याचिका दायर करना था और ट्रिब्यूनल आवेदन पर केवल इसलिए विचार नहीं कर सकता था क्योंकि अभ्यावेदन किया गया था। उनके द्वारा 1993

में और उसके बाद 1994, 1995, 1996 और 1997 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया और खारिज कर दिया गया। उन्होंने अधिनियम की धारा 20 और 21 के प्रावधानों पर भरोसा किया और तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल इस पर विचार नहीं कर सकता था। कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने के 17 साल बाद आवेदन सिर्फ इसलिए दायर किया गया क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा उसके प्रत्यावर्तन के लगभग 13 साल बाद दिए गए अभ्यावेदन पर भारत सरकार ने विचार किया और खारिज कर दिया।

(10) श्री आर.के. प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील शर्मा ने यह तर्क देकर विवादित आदेश का समर्थन किया कि 1993 और उसके बाद प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की अस्वीकृति ने कार्रवाई के नए कारण को जन्म दिया, जिससे उन्हें ट्रिब्यूनल से राहत पाने का अधिकार मिला। उन्होंने बताया कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व की अंतिम अस्वीकृति उन्हें 10 सितंबर, 1997 के पत्र के माध्यम से बताई गई थी और इसलिए, ट्रिब्यूनल ने आवेदन पर विचार करके कोई न्यायिक त्रुटि नहीं की। उन्होंने आगे तर्क दिया कि योग्यता के आधार पर अभ्यावेदन को खारिज करने के बाद, याचिकाकर्ताओं के पास समय की बाधा के कारण आवेदन को खारिज करने का अधिकार नहीं है। इस तर्क के समर्थन में, श्री शर्मा ने सु**आलाल बनाम राजस्थान राज्य एआईआर 1977 एससी 2050** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया।

(11) हमने संबंधित तर्कों पर गंभीरता से विचार किया है। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा उसके प्रत्यावर्तन के 17 साल बाद और इसकी स्थापना से 6 साल पहले दायर आवेदन पर विचार करने के लिए ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रश्न का निर्णय करने के लिए, हम प्रस्तावना और धारा 3 (बी), (क्यू) (आर), अधिनियम की धारा 14(1), 19(1), 20 और 21 का उल्लेख कर सकते हैं। इसे इस प्रकार पढ़ें:

"प्रस्तावना

> संघ या किसी राज्य या किसी स्थानीय मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्णय या सुनवाई का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में या संविधान के अनुच्छेद 323 ए के अनुसरण में सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी

निगम या सोसायटी के अधीन अन्य प्राधिकारी और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए।

XX XX XX XX XX XX XX

3. (बी) "आवेदन" का अर्थ धारा 19 के तहत किया गया आवेदन है:

(क्यू) किसी व्यक्ति के संबंध में "सेवा मामले" का अर्थ है संघ या किसी राज्य या भारत के क्षेत्र के भीतर या उसके अंतर्गत किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के मामलों के संबंध में उसकी सेवा की शर्तों से संबंधित सभी मामले सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी निगम (या सोसायटी) पर, जैसा भी मामला हो, भारत सरकार का नियंत्रण, निम्नलिखित के संबंध में-

(i) पारिश्रमिक (भत्तों सहित), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ:

(ii) पुष्टिकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति सहित कार्यकाल:

(iii) किसी भी प्रकार की छुट्टी;

(iv) अनुशासनात्मक मामले; या

(v) कोई भी अन्य मामला,

(आर) किसी भी मामले के संबंध में "शिकायतों के निवारण के संबंध में सेवा नियम" का अर्थ है, निवारण के संबंध में कुछ समय के लिए लागू नियम, विनियम, आदेश या अन्य उपकरण या व्यवस्था, या ऐसे मामलों के संबंध में कोई शिकायत, इस अधिनियम के अलावा।

14. केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ एवं अधिकार-

(1) इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नियत दिन से, सभी न्यायालयों (सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर) द्वारा उस दिन से तुरंत पहले

प्रयोग किए जाने वाले सभी अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा। --

(ए) किसी भी अखिल भारतीय सेवा या संघ की किसी भी सिविल सेवा या संघ के तहत एक सिविल पद या रक्षा से जुड़े किसी पद पर या रक्षा सेवाओं में भर्ती और भर्ती से संबंधित मामले, दोनों ही मामलों में, एक पद एक नागरिक द्वारा भरा गया:

(बी) संबंधित सभी सेवा मामले-

(i) किसी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य; या

(ii) एक व्यक्ति (जो सदस्य या अखिल भारतीय सेवा नहीं है या खंड (सी) में निर्दिष्ट व्यक्ति है) संघ की किसी भी सिविल सेवा या संघ के तहत किसी भी सिविल पद पर नियुक्त किया गया है; या

(iii) एक नागरिक (जो अखिल भारतीय सेवा का सदस्य नहीं है या खंड (सी) में निर्दिष्ट व्यक्ति है) को किसी भी रक्षा सेवा या रक्षा से जुड़े पद पर नियुक्त किया गया है

और भारत संघ या किसी राज्य या भारत के क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण के तहत किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के मामलों के संबंध में ऐसे सदस्य, व्यक्ति या नागरिक की सेवा से संबंधित भारत का या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम (या सोसायटी) का

(सी) खंड (बी) के उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी भी सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति से संबंधित संघ के मामलों के संबंध में सेवा से संबंधित सभी सेवा मामले, एक होने के नाते वह व्यक्ति जिसकी सेवाएँ राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या किसी निगम (या सोसायटी) या अन्य निकाय द्वारा केंद्र सरकार के निपटान में रखी गई हैं।

(स्पष्टीकरण:- संदेह को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा में "संघ" के संदर्भ को एक केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ भी शामिल माना जाएगा)।

19. न्यायाधिकरणों के लिए आवेदन-

(1) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन, न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी मामले से संबंधित किसी भी आदेश से व्यथित व्यक्ति अपनी शिकायत के निवारण के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है।

स्पष्टीकरण:- इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "आदेश" का अर्थ है एक आदेश दिया गया-

(ए) सरकार या भारत के क्षेत्र के भीतर किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी द्वारा या भारत सरकार के नियंत्रण में या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम (या सोसायटी) द्वारा; या

(बी) खंड (ए) में निर्दिष्ट सरकार या स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या निगम के किसी अधिकारी, समिति या अन्य निकाय या एजेंसी द्वारा।

20. जब तक अन्य उपचार समाप्त नहीं हो जाते तब तक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।-

(1) एक न्यायाधिकरण आमतौर पर किसी आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि आवेदक ने शिकायतों के निवारण के लिए प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत उपलब्ध सभी उपचारों का लाभ उठाया है।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति को शिकायतों के निवारण के लिए प्रासंगिक नियमों के तहत उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा।

(ए) यदि सरकार या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसे नियमों के तहत ऐसा आदेश पारित करने में सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी अपील या प्रतिनिधित्व को खारिज करते हुए अंतिम आदेश दिया गया है; या

(बी) जहां सरकार या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अपील या प्रतिनिधित्व के संबंध में ऐसा आदेश पारित करने में सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है, यदि उस तारीख से छह महीने की अवधि में ऐसी अपील की गई थी या प्रतिनिधित्व किया गया था समाप्त हो गया है।

(3) उप-धारा (1) और (2) के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य पदाधिकारी को स्मारक प्रस्तुत करने के माध्यम से आवेदक के लिए उपलब्ध कोई भी उपाय नहीं माना जाएगा। यह उन उपायों में से एक है जो उपलब्ध हैं जब तक कि आवेदक ने ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने का चुनाव नहीं किया हो।

21. परिसीमा.-(1) एक न्यायाधिकरण एक आवेदन स्वीकार नहीं करेगा-

(ए) ऐसे मामले में जहां धारा 20 की उप-धारा (2) के खंड (ए) में उल्लिखित अंतिम आदेश शिकायत के संबंध में किया गया है, जब तक कि आवेदन अंतिम आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है,

(बी) ऐसे मामले में जहां धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (बी) में उल्लिखित अपील या अभ्यावेदन किया गया है और उसके बाद ऐसे अंतिम आदेश के बिनाछह महीने की अवधि समाप्त हो गई है, छह महीने की उक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां-

(ए) जिस शिकायत के संबंध में आवेदन किया गया है वह उस तारीख से ठीक पहले तीन साल की अवधि के दौरान किसी भी समय किए गए किसी भी आदेश के कारण उत्पन्न हुई थी, जिस पर इस अधिनियम के तहत न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, उस मामले में जिससे ऐसा आदेश संबंधित है; और

(बी) किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त तिथि से पहले ऐसी शिकायत के निवारण के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

आवेदन पर ट्रिब्यूनल द्वारा विचार किया जाएगा यदि यह उप-धारा (1) के खंड (ए), या, जैसा भी मामला हो, खंड (बी) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर या उक्त तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर किया गया हो, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के बाद एक आवेदन स्वीकार किया जा सकता है , या, जैसा भी मामला हो, उप-धारा

(2) में निर्दिष्ट छह महीने की अवधि, यदि आवेदक ट्रिब्यूनल को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण है।"

(12) प्रस्तावना और ऊपर उद्धृत प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और शर्तों या सेवा के संबंध में विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए विशेष न्यायिक मंच के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य संघ आदि के मामलों का उद्देश्य नियमित न्यायालयों के बोझ को कम करना है और इस प्रकार उन्हें अन्य मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए अधिक समय देना है, और भर्ती से संबंधित मामलों और शर्तों के संबंध में शिकायत करने वाले व्यक्तियों को शीघ्र उपचार प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, ट्रिब्यूनल अधिनियम को लागू होने की तारीख से ठीक पहले [सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर] सभी न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले भर्ती, पदोन्नति, वेतन, पारिश्रमिक, पेंशन आदि सहित सभी सेवा मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार, शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किए गए हैं। **एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य जेटी 1997 (3) एस.सी. 589** में सुप्रीम कोर्ट की 7-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के आधार पर, उच्च कोर्ट अब ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं पर विचार कर सकता है। हालाँकि, यह किसी भी तरह से इस तथ्य से इनकार नहीं करता है कि अधिनियम के तहत स्थापित न्यायाधिकरणों के पास सेवा मामलों से संबंधित सभी विवादों और शिकायतों पर विचार करने और निर्णय लेने का विशेष क्षेत्राधिकार है। कारक, जैसे सीमा की छोटी अवधि का निर्धारण, न्यायाधिकरणों को अपनी प्रक्रिया तैयार करने की शक्ति प्रदान करना, सर्वोच्च न्यायालय (और अब उच्च न्यायालयों) को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का बहिष्कार और लंबित मुकदमों का स्थानांतरण और न्यायाधिकरणों की अन्य कार्यवाहियां स्पष्ट रूप से भर्ती के संबंध में विवादों और शिकायतों, भर्ती से संबंधित मामलों के साथ-साथ कर्मचारियों की सेवा शर्तों से निपटने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार वाले विशेष मंच बनाने की संसद की मंशा का संकेत देती हैं।

(13) धारा 20(1) में कहा गया है कि एक ट्रिब्यूनल आम तौर पर किसी आवेदन को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि वह संतुष्ट न हो जाए कि आवेदक ने शिकायतों के निवारण के लिए प्रासंगिक सेवा नियमों के तहत उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठाया है। धारा 20 की उप-धारा (2) घोषित करती है कि उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को

शिकायतों के निवारण के लिए संबंधित सेवा नियमों के तहत उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा यदि अंतिम सरकार या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसे नियमों के तहत ऐसा आदेश पारित करने में सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत के संबंध में ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी अपील या प्रतिनिधित्व को खारिज करते हुए आदेश दिया गया है और जहां सरकार द्वारा कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया है आदि ., यदि अपील दायर करने या अभ्यावेदन देने की तारीख से छह महीने की अवधि बीत चुकी है। धारा 21(1) घोषित करती है कि ट्रिब्यूनल अंतिम आदेश के खिलाफ किसी आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा जैसा कि धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ए) में उल्लिखित है जब तक कि ऐसा अंतिम आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है, और धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (बी) के अंतर्गत आने वाले मामले में अपील दायर करने या अभ्यावेदन देने की तारीख से एक वर्ष और छह महीने की अवधि के भीतर। धारा 21 की उप-धारा (2) में एक गैर-प्रतिरोधी खंड शामिल है जिसे तत्काल किए गए आदेश के संबंध में सीमा की अनावश्यक आपत्ति, उस तारीख से पहले जिस दिन शक्ति, क्षेत्राधिकार और अधिकार न्यायाधिकरण प्रयोगयोग्य हो गया, को कम करने के लिए शामिल किया गया था.

इसके बावजूद यह बताता है किउपधारा (1) में निहित कोई भी बात जहां शिकायत के संबंध में है , जिसका आवेदन किया गया है, वह किसी आदेश के कारण उत्पन्न हुआ हो तीन वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय तुरंत बनाया गया उस तारीख से पहले जिस पर क्षेत्राधिकार, शक्तियां और अधिकार ट्रिब्यूनल के संबंध में अधिनियम के तहत प्रयोग योग्य हो जाता है ऐसा मामला जिससे ऐसा आदेश संबंधित है और निवारण के लिए कोई कार्यवाही नहीं है ऐसी शिकायत उक्त तिथि से पहले शुरू की गई थी किसी भी उच्च न्यायालय में, आवेदन पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा यदि यह धारा 21(1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर दायर किया गया है या उसके खंड (बी) या उक्त से छह महीने की अवधि के भीतर तारीख। धारा 21 की उपधारा (3) में एक गैर-विषयक भी शामिल है खंड. यह न्यायाधिकरण को समाप्ति के बाद किसी आवेदन को स्वीकार करने का अधिकार देता है उप-धारा (1) के खंड (ए) या (बी) में निर्दिष्ट अवधि या, जैसा कि मामले में, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट छह महीने की अवधि हो सकती है आवेदक संतुष्ट है कि उसके पास ऐसा न करने का पर्याप्त कारण है ऐसी अवधि के भीतर विलोपन

(14) सिविल सूट दाखिल करने के लिए निर्धारित सीमा की तुलना में अधिनियम के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए कम समय सीमा

निर्धारित करने का कारण समझना मुश्किल नहीं है। यह संसद द्वारा कर्मचारियों और अन्य पीड़ित व्यक्तियों के सेवा विवादों और शिकायतों से निपटने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 323-ए के तहत विशेष कानून बनाकर प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया होगा। संघ आदि के मामलों से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के समाधान के लिए विशेष न्यायिक मंच के निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य पीड़ित व्यक्तियों को त्वरित उपचार प्रदान करना था। और नियमित अदालतों का बोझ भी कम करना है। ऐसा करते समय, विधानमंडल इस तथ्य से अवगत था कि सेवाओं की दक्षता में गिरावट का एक प्रमुख कारण सेवा विवादों से संबंधित अदालतों में मुकदमेबाजी का लंबे समय तक लंबित रहना था। इसलिए, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि ऐसी शिकायतों और विवादों का शीघ्रता से निपटारा/समाधान किया जाए, उन मामलों के लिए केवल एक वर्ष की सीमा अवधि निर्धारित की गई और उन मामलों के लिए एक वर्ष और छह महीने की विस्तारित अवधि का प्रावधान किया गया जिनमें पीड़ित कर्मचारी ने अपील/अभ्यावेदन किया है और हो सकता है कि उस पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्णय न लिया गया हो। यदि विधानमंडल ने सिविल मुकदमे दायर करने के लिए निर्धारित सीमा अवधि को बरकरार रखा था। अधिनियम के तहत गठित न्यायाधिकरणों को सेवा विवादों के निर्णय के लिए एक सामान्य मंच के स्तर तक कम कर दिया गया होगा और विशेष कानून बनाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य विफल हो जाएगा।

(15) अधिनियम की धारा 21 के दायरे और दायरे पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की 7-न्यायाधीशों की पीठ ने **एसएस राठौड़ बनाम मध्य प्रदेश राज्य (3) एआईआर 1990 एससी 10**मामले में विचार किया था, अपीलकर्ता के मुकदमे को वर्जित मानकर खारिज करने की पृष्ठभूमि में समय तक। सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य ने सीमा अधिनियम, 1963 और अधिनियम की धारा 20 और 21 के प्रावधानों का उल्लेख किया और निम्नानुसार आयोजित किया:

"हमारा विचार है कि कार्रवाई का कारण मूल प्रतिकूल आदेश की तारीख से नहीं, बल्कि उस तारीख से लिया जाएगा जब उच्च प्राधिकारी का आदेश, जहां अपील या अभ्यावेदन पर विचार करते हुए एक वैधानिक उपाय प्रदान किया जाता है, किया जाता है और जहां ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है, हालांकि उपाय का लाभ उठाया गया है, अपील करने या अभ्यावेदन देने की तारीख से

छह महीने की अवधि को वह तारीख माना जाएगा जब कार्रवाई का कारण पहली बार उत्पन्न हुआ होगा . हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह सिद्धांत तब लागू नहीं हो सकता है जब प्राप्त किया गया उपाय कानून द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। कानून द्वारा प्रदान नहीं किए गए बार-बार असफल अभ्यावेदन इस सिद्धांत द्वारा शासित नहीं होते हैं।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 21 के तहत सीमा संबंधी प्रावधान पर ध्यान देना उचित है। उप-धारा (1) में आवेदन करने के लिए एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है और कुल छह महीने की देरी को माफ करने की शक्ति उप-धारा (3) के तहत निहित की गई है। अधिनियम द्वारा सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र छीन लिया गया है और इसलिए, जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है। विशेष सीमा के मद्देनजर अनुच्छेद 58 लागू नहीं किया जा सकता है। अभी तक, प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के दायरे से बाहर के मुकदमे अनुच्छेद 58 द्वारा शासित होते रहेंगे।

उचित यह है कि ऐसे मामलों में स्थिति एक समान होनी चाहिए। इसलिए, ऐसे हर मामले में जब तक किसी कानून द्वारा प्रदान की गई अपील या अभ्यावेदन का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक कार्रवाई के कारण के लिए कार्रवाई का कारण सबसे पहले तभी उत्पन्न होगा जब उच्च प्राधिकारी अपील या अभ्यावेदन पर अपना आदेश देता है और जहां ऐसा आदेश नहीं दिया जाता है। उस तारीख से छह महीने की समाप्ति पर जब अपील दायर की गई थी या प्रतिनिधित्व किया गया था। सीमा तय करने के मामले में प्रतिष्ठान के प्रमुख को केवल एक स्मारक या अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(अंडरलाइनिंग हमारी है)

(16) भारत सरकार के **सचिव और अन्य बनाम शिवराम महादु गायकवाड़ (1995) पूरक। (3) एस.सी.सी. 231 में,** सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 7 अक्टूबर, 1986 को पारित सेवा से मुक्ति के आदेश पर सवाल उठाते हुए वर्ष 1990 में दायर एक आवेदन खारिज किया जा सकता है। सीमा से वर्जित. उनके आधिपत्य ने आगे कहा कि देरी की माफी के लिए आवेदन के अभाव में, ट्रिब्यूनल अधिनियम की धारा 21(1) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद दायर आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है।

(17) **सेंट्रल हॉस्पिटल बनाम सविता एस बोडके और अन्य (1995) पूरक। (3) एस.सी.सी. 439** में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल की बॉम्बे बेंच के आदेश को उलट दिया, जिसने वर्ष 1982 में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा बर्खास्तगी को रद्द करने के लिए दायर एक आवेदन की अनुमति दी थी। 8 मार्च, 1982 को की गई उनकी सेवा का विवरण इस प्रकार है:

"हम यह समझने में विफल हैं कि ट्रिब्यूनल उस घटना के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कैसे कर सकता है जो इसके अस्तित्व में आने से बहुत पहले हुई थी और यह स्टाफ नर्स के वेतन के भुगतान का निर्देश कैसे दे सकता है जब वह इस पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थी।

(18) **केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के प्रशासक और अन्य बनाम आर.डी. वालैंड 1995 सप्लिमेंट। (4) एससीसी 593** में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने ट्रिब्यूनल की बॉम्बे बेंच द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसने पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए प्रतिवादी के दावे पर विचार किया था और माना था निम्नानुसार:

"ट्रिब्यूनल के लिए प्रतिवादी के पुराने दावे पर विचार करना उचित नहीं था। उन्हें 28 सितंबर, 1972 से वर्ष 1979 में जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नत किया गया था। उस समय उनके सामने कार्रवाई का एक कारण, यदि कोई हो, उत्पन्न हुआ था। समय। वह 1985 तक इस मामले पर सोते रहे जब उन्होंने प्रशासन को अभ्यावेदन दिया। उक्त अभ्यावेदन 9 अक्टूबर, 1986 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, चार साल तक प्रतिवादी ने किसी भी अदालत का रुख नहीं किया और अंततः उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष वर्तमान आवेदन दायर किया मार्च, 1990 में। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, ट्रिब्यूनल को समय को 15 साल से अधिक पीछे रखना उचित नहीं था। ट्रिब्यूनल यह देखते हुए कि प्रतिवादी ने सीमा के सवाल को खारिज कर दिया है, पेटेंट त्रुटि में पड़ गया। समय-समय पर अभ्यावेदन देता रहा हूं और इस तरह कोई सीमा उसके रास्ते में नहीं आएगी।"

(19) **ढाला राम बनाम भारत संघ (1997) 11 एससीसी 201** में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1988 में अनुकंपा नियुक्ति के दावे की अस्वीकृति पर सवाल उठाते हुए 1993 में दायर एक आवेदन सीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जा सकता है।

(20) **रमेश चंद शर्मा बनाम उधम सिंह कमल 1999 (4) आरएसजे 689** में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल के पास पदोन्नति के

मामले में प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के 3 साल बाद दायर आवेदन को स्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

(21)**आंध्र प्रदेश सरकार बनाम मोहम्मद में। घोष मोहिनुद्दीन**, **2001(4) आरएसजे 477** सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र द्वारा पारित आदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील की अनुमति दी प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने माना कि कैडर के पुनर्गठन के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के 15 साल से अधिक समय के बाद दायर एक आवेदन सीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जा सकता है।

(22) **वाई. राममोहन और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य (2001) 10 एससीसी 537** में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कर्मचारी द्वारा बार-बार किए गए अभ्यावेदन का निपटान आवेदन दाखिल करने में देरी की माफी को उचित नहीं ठहराएगा। उस विशेष मामले में, अपीलकर्ता ने कॉमन ग्रेडेशन लिस्ट को रद्द करने के लिए 1990 में ट्रिब्यूनल से संपर्क किया था, जिसकी सूचना उन्हें 3 मई, 1983 को दी गई थी। ट्रिब्यूनल ने समय से बाधित होने के कारण आवेदन को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और निम्नानुसार कहा: -

"वर्तमान मामले में, जब ट्रिब्यूनल ने एक साल पहले के मामले में निष्कर्ष दर्ज किया है कि ग्रेडेशन सूची को वर्ष 1983 में विधिवत सूचित किया गया था, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि आवेदकों को ग्रेडेशन सूची के बारे में पता था, जिसमें उन्हें आवंटन का वर्ष बताया गया था। 1976, 1983 में, और इसलिए सीधी भर्ती द्वारा दायर पहले के आवेदन के निपटान के बाद अपीलकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार को दायर किया गया तथाकथित प्रतिनिधित्व नई सीमा की अवधि प्राप्त करने के लिए एक छलावे के अलावा कुछ नहीं है। अपीलकर्ताओं द्वारा अपनाई गई यह विधि उन्हें किसी भी राहत से वंचित कर देता है। इसके अलावा, वर्ष 1983 की ग्रेडेशन सूची में अपीलकर्ताओं को आवंटन के वर्ष के रूप में 1976 आवंटित करते हुए वरिष्ठता सूची को लगभग तय कर दिया गया है, जिसे इस अवधि के बाद परेशान करने की आवश्यकता नहीं है।"

(23) **निपटान निदेशक और अन्य बनाम डी. राम प्रकाश 2002(2) आरएसजे 582** में, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश प्रशासनिक

न्यायाधिकरण के आदेश को पलट दिया और माना कि न्यायाधिकरण को सीमा अवधि की अनदेखी करते हुए आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए था। उस मामले के तथ्य यह थे कि सर्वेयर के कैडर में प्रतिवादी की वरिष्ठता उसके सेवा में प्रवेश को प्रभावी मानते हुए निर्धारित की गई थी 1 फरवरी, 1978 से। वर्ष 1985 में उन्होंने अभ्यावेदन दाखिल किया यह दावा करते हुए कि 1 अक्टूबर, 1971 से 1 फरवरी, 1972 तक प्रशिक्षण की अवधि को वरिष्ठता निर्धारण के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। वही खारिज कर दिया गया. 1996 में, उन्होंने नया अभ्यावेदन दिया जिसे 17 अक्टूबर, 1998 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने ट्रिब्यूनल के समक्ष एक आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने आवेदन स्वीकार कर लिया और गैर-आवेदकों को प्रतिवादी की वरिष्ठता तय करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण की अवधि की गणना करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने ट्रिब्यूनल के आदेश को उलट दिया और माना कि उसे अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रदान की गई सीमा के आधार पर दावे को खारिज कर देना चाहिए था।

(24) अधिनियम के प्रावधानों के उपरोक्त विश्लेषण और न्यायिक मिसालों के सर्वेक्षण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं:

(1) अधिनियम के तहत स्थापित न्यायाधिकरण धारा 21(1) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि की समाप्ति के बाद दायर एक आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है जब तक कि आवेदक इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि उसके पास निर्धारित सीमा अवधि के भीतर आवेदन दाखिल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण है।

(ii) न्यायाधिकरण की स्थापना से पहले पीड़ित व्यक्ति को जो कारण उत्पन्न हुए थे, उनके संबंध में, धारा 21 की उपधारा (1) के खंड (ए) या (बी) के तहत निर्धारित अवधि के भीतर एक आवेदन दायर किया जा सकता है। उस अवधि की समाप्ति से 6 महीने की अवधि के भीतर। धारा 21 की उपधारा (3) में निहित गैर-अस्थिर खंड का लाभ उन व्यक्तियों द्वारा भी उठाया जा सकता है जिनके पक्ष में न्यायाधिकरण की स्थापना से पहले मामला उत्पन्न हुआ था,

(iii) क्रमिक अभ्यावेदन की अस्वीकृति, सीमा अवधि की समाप्ति के बाद दायर किए गए आवेदन पर विचार करने को उचित नहीं ठहरा सकती, जब तक कि शिकायतों के निवारण के लिए प्रासंगिक सेवा नियम ऐसे अभ्यावेदन के लिए प्रदान नहीं करते हैं।

iv) आवेदन दाखिल करने में देरी को तब तक माफ नहीं किया जा सकता जब तक धारा 21(3) के तहत इस आशय का लिखित अनुरोध नहीं किया जाता है और ट्रिब्यूनल संतुष्ट नहीं होता है कि आवेदक के पास सीमा अवधि के भीतर आवेदन न करने का पर्याप्त कारण है।

(25) अब हम हाथ में आए मामले पर वापस लौट सकते हैं। तथ्यों की संक्षिप्त पुनरावृत्ति से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 4 सितंबर, 1980 के आदेश के तहत अन्वेषक ग्रेट- II के पद से हटा दिया गया था। उसने सक्षम अदालत के समक्ष उस आदेश को चुनौती नहीं दी। उन्होंने 1993 तक उच्च विभागीय अधिकारियों को कोई अभ्यावेदन भी नहीं दिया था। उनके द्वारा किया गया पहला अभ्यावेदन फरवरी, 1994 में खारिज कर दिया गया था। यह उन्हें 25 फरवरी, 1994 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया गया था। उनके बार-बार किए गए अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था, - दिनांक 12 मई, 1994, 5 मई, 1995, 28 फरवरी, 1996/3 सितंबर, 1996, 13 अगस्त, 1996/3 सितंबर, 1996 और 10 सितंबर, 1997 के ज्ञापनों के माध्यम से। प्रत्यावर्तन आदेश पारित होने के 17 साल बाद, उन्होंने 4 सितंबर, 1980 के आदेश और कार्यालय ज्ञापन को रद्द करने के लिए आवेदन दायर किया, जिसके माध्यम से उनके बार-बार के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था। दुर्भाग्य से, ट्रिब्यूनल ने धारा 21(2) के प्रावधानों की अनदेखी की और इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए आवेदन पर विचार किया कि कार्रवाई का कारण इसकी स्थापना से लगभग 6 साल पहले प्रतिवादी नंबर 2 को दिया गया था।

(26) हमारी सुविचारित राय में, ट्रिब्यूनल के पास 4 सितंबर 1980 के आदेश को रद्द करने के लिए 1997 में प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर आवेदन और 1993 और उसके बाद उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अलावा किसी भी अन्य चीज़ पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। 1994 और 1997 के बीच खारिज कर दिए गए थे, यह उस आदेश की वैधता पर निर्णय लेने के क्षेत्राधिकार के साथ कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

(27) हमारा यह भी मानना है कि धारा 21(2) के तहत निर्धारित सीमा की विशेष अवधि का लाभ देकर भी, प्रतिवादी संख्या 2 के आवेदन पर

विचार नहीं किया जा सकता था और ट्रिब्यूनल इसे अस्वीकार करने के लिए बाध्य था। समय से वर्जित क्योंकि यह उस धारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के 10 वर्ष से अधिक के बाद दायर किया गया था।

(28) परिसीमन की आपत्ति को खारिज करने के लिए ट्रिब्यूनल द्वारा सौंपा गया कारण स्वीकार करने के लिए बहुत कमजोर है। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा बार-बार किए गए अभ्यावेदन और उसकी अस्वीकृति ने उस कारण को पुनर्जीवित नहीं किया जो 1980 में उनके पास जमा हुआ था और वर्ष 1983 में एक सिविल मुकदमा दायर करने के उद्देश्य से भी कालातीत हो गया था। यह प्रतिवादी संख्या 2 का मामला नहीं है कि उसकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम/विनियम/कार्यकारी निर्देश बार-बार अभ्यावेदन देने का प्रावधान करें। इसलिए, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि ट्रिब्यूनल ने प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर आवेदन पर विचार करके और उसे स्वीकार करके गंभीर अवैधता की है।

(29) **सुआ लाल यादव बनाम राजस्थान राज्य (सुप्रा)** में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रतिवादी नंबर 2 के मामले पर बिल्कुल कोई असर नहीं है। उस मामले में, राजस्थान के नियम 34 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई समीक्षा सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमों की सीमा समाप्त होने के बाद सरकार द्वारा इस पर विचार किया गया और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया गया। उस तथ्य की पृष्ठभूमि में, सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने माना कि उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रिट याचिका को खारिज करना सही नहीं था कि समीक्षा में देरी हुई थी। उस निर्णय का अनुपात उन मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता जो अधिनियम की धारा 20 और 21 के प्रावधानों द्वारा शासित हैं।

(30) परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। आदेश अनुलग्नक पी-34 को रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर ओए संख्या 1066/सीएच 1997 को खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिकअधिकारी

(Trainee JudicialOfficer)

अंबाला,हरियाणा